न्यायालय अति० जिला कलक्टर दौसा

प्र०नं: 67/2016 नामांतरकरण अपील

| तारीख हुक्म | उनवान - रोशनलाल बनाम सुखपाल वगैरा<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23-2-26 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगवाई गई। किन्तु अधिवक्ता अपीलांट अथवा अपीलांट से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपीलांट को बार-बार रेस्पोडेन्ट 1 से 7, अवसर दिये जाने के उपरांत भी रेस्पोडेन्ट नं. 8, 10 की फोटो अथवा कायम मुकामान की सूचना नहीं की गई है और न ही प्रार्थी अपीलांट अथवा अधिवक्ता अपीलांट अपील में पैरवी हेतु पेश हुए। जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट विचाराधीन अपील को चलाने के इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में नामांतरकरण सं. 179 दिनांक 29-6-2001 ग्राम लीखली तहसील सिकराय के विरुद्ध अपीलांट रोशनलाल पुत्र किशोरीलाल जाति सैनी (माली) निवासी लीखली तहसील सिकराय जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मिलवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 23-2-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>23/2/26<br>अरविन्द शर्मा<br>अति० जिला कलक्टर<br>दौसा (राज०) | |